(251)

प्रेषक,

एस0 रामास्वामी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर सदस्य सचिव,
राज्य योजना आयोग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

नियोजन अनुभाग–1

देहरादून, दिनांकः 29 जनवरी, 2013

विषयः– निर्माणाधीन योजना भवन के निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निर्माणधीन योजना भवन के निर्माण हेतु टी0ए0सी0/वित्त द्वारा परीक्षणोपरान्त स्वीकृत धनराशि ₹ 2104.28 (इक्कीस करोड़, चार लाख, अठाइस हजार) के सापेक्ष शासनादेश सं0–285/XXVI/एक (10)/2005 दिनांक 20 दिसम्बर, 2007, शासनादेश सं0–72/XXVI/एक(10)/2005 दिनांक 19 मार्च, 2008, शासनादेश सं0–184/xxvi/एक (10) /2005 दिनांक 13 अक्टूबर, 2009, शासनादेश सं0–151/xxvi/एक(10)/2005 दिनांक 29 सितम्बर, 2009, शासनादेश सं0–188/xxvi/एक(10)/2005 दिनांक 20 अक्टूबर, 2009 द्वारा ₹1500.00 लाख एवं शासनादेश सं0–246/.xxvi/एक(10)/2005 दिनांक 16 दिसम्बर, 2011 द्वारा निर्माणाधीन योजना भवन में विद्युतीकरण एवं अन्य सम्बन्धित कार्यो हेतु टी0ए0सी0/वित्त द्वारा परीक्षणोपरान्त अतिरिक्त कार्यो हेतु ₹623.97 लाख (छः करोड़ तेईस लाख सत्तानवें हजार मात्र) के सापेक्ष धनराशि ₹200.00 लाख अर्थात कुल धनराशि ₹2104.28+623.97=2728.25 लाख (सताईस करोड़ अठ्ठाईस लाख पच्चीस लाख) के सापेक्ष ₹1700.00 लाख अवमुक्त की जा चुकी है।

उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य योजना आयोग के भवन निर्माण हेतु कुल स्वीकृत धनराशि ₹ 2728.25 लाख (सताईस करोड़ अठ्ठाईस लाख पच्चीस लाख) के सापेक्ष अवशेष धनराशि ₹1028.25 लाख (दस करोड़ अठ्ठाइस लाख पच्चीस हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः–

1– धनराशि व्यय करने से पूर्व यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि उक्त कार्य पर व्यय हाने वाली धनराशि वास्तव में व्यय योग्य है एवं मितव्ययता सम्बन्धी शासन के आदेशों के अनुरूप है तथा व्यय की जा रही धनराशि पर सक्षम स्तर का पूर्वानुमोदन प्राप्त किया गया है। स्वीकृत धनराशि में से अप्रयुक्त धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कर दी जाएगी।

2– उक्त से संबंधित सामग्रियों का कय एवं भुगतान के संबंध में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली, 2008 में प्राविधानित नियमों एवं दिशा निर्देशों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3– मुख्य सचिव, उत्तरांचल के शासनादेश संख्या–2047/xii–219(2006), दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

4– स्वीकृत की जा रही धनराशि पूर्ण उपयोग कर इसका उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को उपलब्ध कराना होगा। न्यूनतम निविदा/अधिप्राप्ति नियमावली के अधीन अधिप्राप्ति में न्यूनतम दर आधार पर बचत की राशि राजकोष में जमा कर दी जायेगी।

5– कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

6– उक्त के अतिरिक्त पूर्व निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–4059–लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 80–सामान्य, 800–अन्य भवन, 07–राज्य योजना आयोग/नियोजन निदेशालय के भवन का निर्माण, 24–वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जाएगा।

2. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–79P/XXVII(5)/2012-13 दिनांक 08 जनवरी, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(एस0 रामास्वामी)
प्रमुख सचिव।

पृ0संख्या: 28 (1)/XXVI/एक (10)/2005

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार,उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा सहारनपुर रोड, देहरादून ।
2– जिलाधिकारी, देहरादून।
3– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
4– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5– मुख्य अभियन्ता, स्तर–1 लो0नि0वि0 देहरादून।
6– अधीक्षण अभियन्ता, 9/11वॉ वृत्त,लोक निर्माण विभाग, देहरादून ।
7– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून।
8– अधिशासी अभियन्ता, वि0/यां0 खण्ड, लो0नि0वि0, ऋषिकेश।
9– एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून।
10– वित्त अनुभाग–5।
11– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(इन्दधर बौड़ाई)